रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-08092025-265996
CG-DL-E-08092025-265996

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 612] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 4, 2025/भाद्र 13, 1947
No. 612] NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 4, 2025/BHADRA 13, 1947

आंध्रप्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय, अनंतपुरमू

अधिसूचना

नई दिल्ली 14 अगस्त, 2025

फा. सं. सीयूएपी/स्थापना/2024-25/राजपत्र/35.—आंध्र प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय के निम्नलिखित परिनियम, राजपत्र अधिसूचना संख्या 559 दिनांक 7th अगस्त, 2025 (बृहस्पतिवार), असाधारण भाग-III खंड 4 में आंशिक संशोधन के रूप में, सामान्य जानकारी के लिए प्रकाशित किए जाते हैं।

परिनियम 11 (संशोधित)
आंध्रप्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय (सी.यूए.पी)

1. विश्वविद्यालय की *कार्यकारी परिषद* में निम्नलिखित सदस्य होंगे:

   I. कुलपति -अध्यक्ष।

   II. सचिव (उच्च शिक्षा), शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार अथवा उनके प्रतिनिधि – *पदेन सदस्य*।

   III. यूजीसी के अध्यक्ष अथवा उनके द्वारा नामित व्यक्ति जो यूजीसी में संयुक्त सचिव स्तर से नीचे के पद पर न हो – *पदेन सदस्य*।

   IV. प्रमुख सचिव, शिक्षा विभाग, आंध्र प्रदेश सरकार, जो राज्य सरकार में उच्च शिक्षा से संबंधित कार्यों से जुड़े हों – *पदेन सदस्य*।

   V. सम-कुलपति (प्रो-वाईस चांसलर) – सदस्य।

VI. विश्वविद्यालय के *विभिन्न अध्ययन संकायों के अधिष्ठाताओं* में से एक सदस्य, जिसे *कुलपति द्वारा चक्रानुक्रम (रोटेशन) आधार* पर नियुक्त किया जाएगा।

VII. विश्वविद्यालय के *दो शिक्षक*, जिन्हें *कुलपति द्वारा नामित* किया जाएगा, जिनमें से *कम से कम एक अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी)/महिला/अल्पसंख्यक* समुदाय से होगा।

VIII. *तीन प्रतिष्ठित शिक्षाविद्*, जिन्हें *कुलाध्यक्ष (Visitor)* द्वारा नामित किया जाएगा।

IX. *अन्य राज्यों* के केंद्रीय शैक्षणिक संस्थानों के *दो कार्यरत या सेवानिवृत्त कुलपति/निदेशक*, जिन्हें *कुलपति की अनुशंसा* पर कार्यकारी परिषद द्वारा नामित किया जाएगा।

X. *दो प्रख्यात शिक्षाविद्*, जो विश्वविद्यालय की सेवा में न हों, जिन्हें *कुलपति द्वारा अनुशंसित पैनल* में से *कार्यकारी परिषद द्वारा* नामित किया जाएगा।

XI. *कोर्ट का एक सदस्य*, जो विश्वविद्यालय या विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था का *कर्मचारी या छात्र न हो*, जिसे *कुलपति द्वारा अनुशंसित पैनल* में से *कुलाध्यक्ष* द्वारा नामित किया जाएगा।

XII. कुलसचिव – सचिव के रूप में कार्य करेगा।

2. *पदेन सदस्यों को छोड़कर*, कार्यकारी परिषद के सभी सदस्य *तीन वर्षों* की अवधि के लिए नियुक्त होंगे।

3. कार्यकारी परिषद की बैठक के लिए *आधा सदस्य* ,जिसमें कम से कम *तीन बाहरी सदस्य* हों, की उपस्थिति से कार्यसाधक संख्या/ गणपूर्ति पूरा माना जाएगा।

4. कार्यकारी परिषद की बैठक *वर्ष में कम से कम तीन बार* आयोजित की जाएगी।

परिनियम 40

छात्र कल्याण अधिष्ठाता (डीन ऑफ़ स्टूडेंट्स वेलफेयर)

(केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 की धारा 27(2) के अंतर्गत)

परिनियम 40 (परिनियम 39 के उपरांत जोड़ा गया): छात्र-कल्याण अधिष्ठाता)

1. प्रत्येक छात्र कल्याण अधिष्ठाता की नियुक्ति विश्वविद्यालय के ऐसे शिक्षकों में से की जाएगी जो *सह-आचार्य* (Associate Professor) या उससे उच्च पद पर हो, और यह नियुक्ति *कुलपति* द्वारा की जाएगी।
2. इस उपबंध (1) के अंतर्गत नियुक्त प्रत्येक छात्र कल्याण अधिष्ठाता एक *पूर्णकालिक अधिकारी* होगा, जिसकी नियुक्ति की अवधि *तीन वर्ष* की होगी और वह *पुनः नियुक्ति* के लिए पात्र होगा।
3. बशर्ते कि, कार्यकारी परिषद, यदि कुलपति की अनुशंसा पर आवश्यक समझे कि अधिष्ठाता को आचार्य /सह-आचार्य के रूप में अपने कर्तव्यों के अतिरिक्त छात्र-कल्याण अधिष्ठाता के रूप में भी कार्य करने के लिए कोई *उपयुक्त भत्ता* दिया जाए, तो ऐसा भत्ता स्वीकृत कर सकती है।
4. जो व्यक्ति छात्र कल्याण अधिष्ठाता के रूप में नियुक्त किया गया हो, वह अपने मूल पद पर *अधिकार बनाए रखेगा* और उसे वे सभी लाभ प्राप्त होते रहेंगे जो उसे अन्यथा प्राप्त होते यदि वह छात्र-कल्याण अधिष्ठाता नियुक्त न किया गया होता।
5. जब छात्र-कल्याण अधिष्ठाता का पद रिक्त हो, या अधिष्ठाता किसी बीमारी, अनुपस्थिति अथवा अन्य कारणों से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में असमर्थ हो, तो *कुलपति* द्वारा इस उद्देश्य से नियुक्त व्यक्ति अधिष्ठाता के कर्तव्यों का निर्वहन करेगा।
6. छात्र-कल्याण अधिष्ठाता के कर्तव्य और अधिकार *अध्यादेशों* (Ordinances) द्वारा निर्धारित किए जाएंगे।

केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 के परिनियम 2(4) में संशोधन

क्रम संख्या	संशोधित
1.	**कुलपति की नियुक्ति** कुलपति, अपने पद का कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से पांच वर्षों की अवधि तक अथवा सत्तर वर्ष की आयु पूरी होने तक, जो भी पहले हो, अपने पद पर बने रहेंगे, *और वे एक और कार्यकाल के लिए पुनर्नियुक्ति के पात्र होंगे।* परंतु, उक्त पाँच वर्ष की अवधि की समाप्ति के बावजूद, जब तक उनके उत्तराधिकारी की नियुक्ति नहीं हो जाती और वे कार्यभार ग्रहण नहीं कर लेते, तब तक वे कुलपति पद पर बने रहेंगे। परंतु, इसके अतिरिक्त यह भी प्रावधान है कि कुलाध्यक्ष (Visitor) किसी कुलपति को, उनकी पदावधि समाप्त हो जाने के पश्चात्, एक वर्ष से अनधिक की ऐसी अवधि तक पद पर बने रहने का निर्देश दे सकते हैं, जो कि वे निर्दिष्ट करेंगें ।

परिनियम 15(1)
अध्ययन संस्थानों की स्थापना

(केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 की द्वितीय अनुसूची में उल्लिखित परिनियम की धारा 15(1) के तहत तथा खंड 27(2) के संदर्भ में)

परिनियम 15(1) संशोधित

विश्वविद्यालय निम्नलिखित अध्ययन संस्थानों की स्थापना करेगा, जिनके अंतर्गत शिक्षण और शोध के उद्देश्य से विभाग स्थापित किए जाएंगे। विश्वविद्यालय किसी भी संस्थान के लिए उपयुक्त प्राधिकरण की स्वीकृति के बिना कोई नया पद सृजित नहीं करेगा:

क. कला, मानविकी और सामाजिक विज्ञान संस्थान

- अर्थशास्त्र विभाग
- मनोविज्ञान विभाग
- राजनीति विज्ञान विभाग
- भूगोल विभाग
- ऐसे अन्य विभाग जो समय-समय पर परिनियम के अंतर्गत स्थापित किए जाएं और अध्यादेश द्वारा निर्धारित किए जाएं ।

ख. अंतर्विषयक और अनुप्रयुक्त विज्ञान संस्थान

- कंप्यूटर विज्ञान और कंप्यूटिंग विभाग
- विज्ञान विभाग

ग. भाषा संस्थान

- विदेशी भाषा विभाग
- भारतीय भाषा विभाग
- ऐसे अन्य विभाग जो समय-समय पर परिनियम के अंतर्गत स्थापित किए जाएं और अध्यादेश द्वारा निर्धारित किए जाएं ।

घ. व्यावसायिक अध्ययन एवं कौशल विकास संस्थान

- व्यावसायिक अध्ययन विभाग

ङ. वाणिज्य और प्रबंधन संस्थान

- वाणिज्य विभाग
- प्रबंधन विभाग
- ऐसे अन्य विभाग जो समय-समय पर परिनियम के अंतर्गत स्थापित किए जाएं और अध्यादेश द्वारा निर्धारित किए जाएं ।

च. शिक्षा संस्थान

- शिक्षा विभाग

परिनियम 41
विभागाध्यक्ष की नियुक्ति

(केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 की धारा 27(2) के तहत)

परिनियम 41 का सृजन : विभागाध्यक्ष

प्रत्येक विभाग में एक विभागाध्यक्ष होगा, जिसे विभाग के आचार्यों में से वरिष्ठता के अनुसार चक्रानुक्रम (रोटेशन) के आधार पर कुलपति द्वारा तीन वर्षों की अवधि के लिए नियुक्त किया जाएगा।

बशर्ते कि, यदि किसी विभाग में केवल एक ही आचार्य है, तो विभागाध्यक्ष की नियुक्ति आचार्य और वरिष्ठतम सह- आचार्यों में से चक्रानुक्रम के आधार पर वरिष्ठता का उचित ध्यान रखते हुए की जाएगी।

बशर्ते कि, यदि किसी विभाग में कोई आचार्य नहीं है, तो विभागाध्यक्ष की नियुक्ति सह- आचार्यों में से चक्रानुक्रम (रोटेशन) के आधार पर वरिष्ठता का उचित ध्यान रखते हुए की जाएगी।

बशर्ते कि, यदि किसी विभाग में न तो आचार्य हैं और न ही सह-आचार्य हैं, तो संबंधित संकाय का संकायाध्यक्ष (डीन) उस विभाग के विभागाध्यक्ष के रूप में कार्य करेंगे।

कोई आचार्य या सह-आचार्य विभागाध्यक्ष बनने के प्रस्ताव को अस्वीकार कर सकता है। ऐसी स्थिति में, विभागाध्यक्ष बनने का प्रस्ताव वरिष्ठता के अनुसार चक्रानुक्रम के आधार पर अगले पात्र व्यक्ति को दिया जाएगा।

विभागाध्यक्ष अपने कार्यकाल के दौरान किसी भी समय उचित कारण बताते हुए अपने पद से त्यागपत्र दे सकता है। ऐसी स्थिति में, विभागाध्यक्ष का पद वरिष्ठता के अनुसार चक्रानुक्रम के आधार पर अगले पात्र व्यक्ति को दिया जाएगा।

यदि कोई व्यक्ति विभागाध्यक्ष बनने के प्रस्ताव को अस्वीकार करता है या कार्यकाल के दौरान त्यागपत्र देता है, तो उसे पुनः विभागाध्यक्ष बनने के लिए तब तक नहीं विचार किया जाएगा जब तक उसकी बारी वरिष्ठता के क्रम में पुनः न आ जाए।

विभागाध्यक्ष को उनके कार्यकाल के दौरान, यदि उचित कारण हो, तो कुलपति द्वारा पद से हटाया जा सकता है। हटाने की यह कार्रवाई कार्यकारी परिषद (Executive Council) की अगली बैठक में अनुमोदन के अधीन होगी।

विभागाध्यक्ष उन कार्यों को निष्पादित करेगा जो अध्यादेशों द्वारा निर्धारित किए जाएंगे।

परिनियम 36 में संशोधन

छात्र परिषद का गठन

क्रम सं०.	संशोधित
1.	36(1) विश्वविद्यालय में प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष के लिए एक छात्र-परिषद गठित की जाएगी, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे: (i) छात्र-कल्याण अधिष्ठाता (डीन ऑफ स्टूडेंट्स वेलफेयर), जो छात्र परिषद के अध्यक्ष होंगे। (ii) अकादमिक परिषद द्वारा पढ़ाई, खेल, सांस्कृतिक और अन्य पाठ्येत्तर गतिविधियों में उत्कृष्टता के आधार पर 20 विद्यार्थियों को नामांकित किया जाएगा, जिनमें से 30% छात्राएं होंगी। क) प्रत्येक अध्ययन संस्थान (स्कूल ऑफ़ स्टडीज़) के पूर्णकालिक नियमित स्नातक/स्नातकोत्तर/संयुक्त स्नातकोत्तर कार्यक्रम के छात्रों में से एक छात्र को पढ़ाई में उत्कृष्टता के आधार पर अकादमिक परिषद द्वारा नामांकित किया जाएगा। ख) प्रत्येक अध्ययन संस्थान के पूर्णकालिक नियमित शोधार्थियों में से एक छात्र को उनके शोध कार्य के प्रदर्शन और प्रगति के आधार पर अकादमिक परिषद द्वारा नामांकित किया जाएगा। ग) खेलों में भागीदारी और प्रदर्शन के आधार पर विश्वविद्यालय के पूर्णकालिक नियमित छात्रों में से एक छात्र को अकादमिक परिषद द्वारा नामांकित किया जाएगा। घ) सांस्कृतिक और अन्य पाठ्येत्तर गतिविधियों में भागीदारी और प्रदर्शन के आधार पर विश्वविद्यालय के पूर्णकालिक नियमित छात्रों में से एक छात्र को अकादमिक परिषद द्वारा नामांकित किया जाएगा। 20 छात्र, जो छात्रों द्वारा उनके प्रतिनिधि के रूप में चुने जाएंगे, जैसा कि निम्नानुसार है: क. *प्रत्येक अध्ययन स्कूल के पूर्णकालिक नियमित छात्रों में से एक छात्र को उसी स्कूल के पूर्णकालिक नियमित छात्रों द्वारा निर्वाचित किया जाएगा;* बशर्ते कि, विश्वविद्यालय का कोई भी छात्र , छात्र-परिषद के किसी भी प्रतिनिधि के माध्यम से विश्वविद्यालय से संबंधित किसी भी विषय को छात्र-परिषद के समक्ष रख सकता है, यदि अध्यक्ष की अनुमति प्राप्त हो। आवश्यकता पड़ने पर छात्र -परिषद संबंधित छात्र को उस विषय पर चर्चा में भाग लेने के लिए आमंत्रित कर सकती है। 36(2) छात्र-परिषद का कार्य सामान्य रूप से विश्वविद्यालय के कार्यकरण के संबंध में, अध्ययन कार्यक्रम, छात्रों के कल्याण और अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर विश्वविद्यालय के समुचित प्राधिकारियों को सुझाव देना होगा तथा ये सुझाव आम सहमति के आधार पर दिए जाएंगे। 36(3) छात्र-परिषद की बैठक प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष में कम से कम दो बार होगी और परिषद की पहली बैठक शैक्षणिक सत्र की शुरुआत में आयोजित की जाएगी। 36 (4) छात्र-परिषद में छात्रों के नामांकन एवं चुनाव की प्रक्रिया, कार्यकाल,आचार संहिता आदि विश्वविद्यालय के अध्यादेशों और विनियमों में विनिर्दिष्ट प्रावधान के अनुरूप होगा।

प्रोफेसर सी. शीला रेड्डी, कुलसचिव प्रभारी

[विज्ञापन-III/4/असा./345/2025-26]

CENTRAL UNIVERSITY OF ANDHRA PRADESH, ANANTHAPURAMU

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th August, 2025

File No. CUAP/Estt/2024-25/Gazette/35.—The following Statutes of the Central University of Andhra Pradesh, as a partial amendment to Gazette Notification No. 559 dated, 7th August, 2025 (Thursday), Extraordinary Part – III Section 4, are hereby published for general information.

Statute 11 of CUAP (Amended)

1. The Executive Council of the University shall consist of the following members:

I. Vice-Chancellor, Chairman.

II. Secretary, (Higher Education), Ministry of Education, Govt. of India, or his/her nominee, Ex-Officio Member.

III. Chairman, UGC or his/her nominee not below the rank of Joint Secretary in the UGC, Ex-Officio Member.

IV. Principal Secretary, Dept. of Education, Govt. of Andhra Pradesh of the State Government dealing with matters relating to Higher Education. Ex-Officio Member.

V. Pro-Vice Chancellor - Member.

VI. One member from among Deans of Schools of Studies, by rotation to be appointed by the Vice-Chancellor.

VII. Two Teachers of the university to be nominated by the Vice-Chancellor out of which one shall be from SC/ST/OBC/women/Minorities.

VIII. Three persons of distinction in academics to be nominated by the Visitor.

IX. Two serving or retired Vice Chancellors/ Directors of other Central Educational Institutions from other States to be nominated by the Executive Council on the recommendation of the Vice-Chancellor.

X. Two eminent academicians, not in the service of the University, to be nominated by the Executive Council from amongst a panel recommended by the Vice-Chancellor.

XI. One member of the Court who is not an employee or student of the university or an institution recognized by the university to be nominated by the visitor from a panel recommended by the Vice Chancellor of the university.

XII. The Registrar shall be the Secretary.

2. All the members of the Executive Council, other than the ex-officio members shall hold office for a term of three years.

3. One half of the members of the Executive Council, including at least three external members, shall form a quorum for a meeting of the Executive Council.

4. The Executive Council shall meet at least thrice a year

STATUTE 40

DEAN OF STUDENTS' WELFARE

(Section 27(2) of the Central Universities Act 2009)

Add Statute 40 (after Statute 39) : DEAN OF STUDENTS' WELFARE.

1. Every Dean of Students' Welfare shall be appointed from amongst the teachers of the University, not below the rank of a Associate Professor by the Vice-Chancellor.

2. Every Dean appointed under clause (1) shall be a whole-time officer and shall hold office for a term of three years and shall be eligible for re-appointment.

3. Provided that the Executive Council may sanction on the recommendation of the Vice-Chancellor a suitable allowance to be paid to him, if it is considered necessary to discharge the duties of the Dean of Students 'Welfare in addition to his *own duties as Professor/ Associate Professor as the case may be***.**

4. A person who is appointed as a Dean of Students' Welfare shall continue to hold his lien on his substantive post and shall be eligible to all the benefits that would have otherwise accrued to him, but for his appointment as the Dean of Students' Welfare.

5. When the office of a Dean of Students' Welfare is vacant or when the Dean of Students' Welfare is, by reason of illness or absence or any other cause, unable to perform the duties of his office, the duties of the office shall be performed by such person as the Vice-Chancellor may appoint for the purpose.

6. The duties and powers of a Dean of Students' Welfare shall be prescribed by the Ordinances.

Amendment to Statue 2(4) of the Central Universities Act 2009

S. No.	Amended
1	Appointment of Vice - Chancellor The Vice-Chancellor shall hold office for a term of five years from the date on which he enters upon his office or until he attains the age of seventy years, whichever is earlier, *and he shall be eligible for re-appointment for another term;* Provided that notwithstanding the expiry of the said period of five years, he shall continue in office until his successor in appointed and enters upon his office: Provided further that the Visitor may direct any Vice-Chancellor after his term has expired, to continue in office for such period, not exceeding a total period of one year, as may be specified by him.

STATUTE 15 (1)

ESTABLISHMENT OF THE SCHOOLS OF STUDIES

(Under Section 15 (1) of the Statute set out in Second Schedule read with Clause 27 (2) of Central Universities Act, 2009)

Amendment to Statute15(1)

The University shall establish the following School of Studies with Departments assigned there-to for the purpose of teaching and research as detailed below. *The University will not create any new post for any School without approval of the appropriate authority:*

A. SCHOOL OF ARTS, HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES

- Department of Economics
- Department of Psychology
- Department of Political Science
- Department of Geography
- Such Departments as may be established from time to time under the Statutes and assigned by the Ordinance

B. SCHOOL OF INTER DISCIPLINARY AND APPLIED SCIENCE(S)

- Department of Computer Science & Computing
- Department of Science

C. SCHOOL OF LANGUAGE

- Department of Foreign Languages
- Department of Indian Languages
- Such Departments as may be established from time to time under the Statutes and assigned by the Ordinance

D. SCHOOL OF VOCATIONAL STUDIES AND SKILL DEVELOPMENT

- Department of Vocational Studies

E. SCHOOL OF COMMERCE AND MANAGEMENT

- Department of Commerce
- Department of Management
- Such Departments as may be established from time to time under the Statutes and assigned by the Ordinance

F. SCHOOL OF EDUCATION

- Department of Education

STATUTE 41

APPOINTMENT OF HEAD OF THE DEPARTMENT

(Section27(2) of the Central Universities Act 2009)

Creation of Statute 41 : Head of the Department

Each Department shall have a Head who shall be appointed by the Vice-Chancellor from amongst the Professors of the Department for a period of three years on the basis of rotation with due regard to the seniority.

Provided that if a Department has only one Professor, the Head of the Department shall be appointed from amongst the Professor and the senior most Associate Professor on the basis of rotation with due regard to the seniority.

Provided further that if a Department has no Professor, the Head of the Department shall be appointed from amongst the Associate Professors on the basis of rotation with due regard to the seniority.

Provided further that if there is no Professor or an Associate Professor, in a Department, the Dean of the School concerned shall act as the Head of that Department.

A Professor or Associate Professor may decline the offer of appointment as the Head of the Department, in which case, the offer of appointment as Head shall be made to the next eligible person on the basis of rotation with due regard to the seniority.

A Head of Department may resign his office at any time during his/her tenure of office by giving justified reason, in which case, the offer of appointment as Head shall be made to the next eligible person on the basis of rotation with due regard to the seniority.

If a person declines the offer of appointment as Head of the Department and/ or resign his office at any time during his/her tenure of office, he/she shall not be considered for appointment as Head in the Department, till his turn of appointment comes again in order of the seniority.

The Head of the Department may be removed from his office during the currency of his tenure by the Vice-Chancellor for cogent reasons subject to ratification by the Executive Council at its next meeting.

The Head of a Department shall perform such functions as may be prescribed by the Ordinances.

AMENDMENT TO STATUTE 36

FORMATION OF STUDENTS' COUNCIL

S. No.	Amended
1.	36(1) There shall be constituted in the University, a Students' Council for every academic year, consisting of: (i) The Dean of Students' Welfare who shall be the Chairman of the Students' Council. (ii) 20 students *including 30% female students* to be nominated by the Academic Council on the basis of merit of studies, sports, cultural and extra-curricular activities as under: - *a) One student from amongst the full-time regular UG, PG/integrated PG students of each School of Studies to be nominated by the Academic Council on the basis of merit of studies.* *b) One student from amongst the full-time regular research scholar from each school of studies to be nominated by the Academic Council on the basis of their performance and progress;* *c)One student from amongst the full-time regular students of the University to be nominated by the Academic Council on the basis of participation and performance in games and sports;* *d)One student from amongst the full-time regular students of the University to be nominated by the Academic Council on the basis of participation and performance in cultural and extra-curricular activities;* (iii) 20 students to be elected by the students as their representative as under: - a. *one student from amongst the full-time regular students of each School of Studies to be elected by the full-time regular students of the school;* Provided that any student of the University shall have the right to bring up any matter concerning the University before the Students' Council *through any representative of the Students in the Students' Council, if so, permitted by the Chairman. The Students Council may invite the concerned student to participate in the discussion on the matter if so required.* 36(2) The functions of the Students' Council shall be to make suggestions to the appropriate authorities of the University in regard to the programme of studies, students' welfare and other matter of importance, in regard to the working of the University in general and such suggestions shall be made on the basis of consensus of opinion. 36(3) The Students' Council shall meet at least twice in every academic year and the first meeting of the council be held in the beginning of the academic session. 36 (4) *The Procedure for Nomination and election, terms of office, code of conduct etc. of students on the students Council shall be such as Specified in the Ordinances and Regulations.*

Prof. C. SHEELA REDDY, Registrar i/c.

[ADVT.-III/4/Exty./345/2025-26]

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. GORAKHA NATH YADAVA Digitally signed by GORAKHA NATH YADAVA Date: 2025.09.08 11:59:43 +05'30'